

रोजगार प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा चठाये गये आवश्यक कदम, किया गया व्यय और जिनको रोजगार प्रदान किया गया वे व्यक्ति नीचे दिये गये हैं :—

(1) केन्द्रीय सरकार के श्रेणी "ग" और "घ" तथा केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 3 प्रतिशत स्थान विकलांग व्यक्तियों के लिये आरक्षित किये गये हैं । इस निर्णय को लागू करने के लिये कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया जाता । जनवरी से सितम्बर, 1981 की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 984 विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त किया गया ।

(2) विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु 21 विशेष रोजगार कार्यालय खोले गये हैं । इनमें से 3 रोजगार कार्यालय 1981 के दौरान खोले गये थे । इस योजना पर होने वाला समस्त व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है । केन्द्र शासित प्रदेशों में अप्रैल 1981 से फरवरी, 1982 के दौरान इस योजना पर हुआ व्यय 41,578 रुपये है । इन विशेष रोजगार कार्यालयों ने अपनी स्थापना के समय से अब तक 25,437 विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की नौकरियां दिलाई हैं ।

(3) विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास मुविधाएं प्रदान करने हेतु विकलांग व्यक्तियों के लिये 13 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र खोले गये हैं । इनमें से दो केन्द्र 1981 के दौरान खोले गये । 1981 के दौरान 4 कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाएं और 5 ग्रामीण पुनर्वास केन्द्र भी खोले गये । कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों और ग्रामीण पुनर्वास केन्द्रों पर अप्रैल, 1981 से जनवरी, 1982 तक हुआ खर्च 91,000 रुपये था । इन केन्द्रों ने अपनी स्थापना से लेकर दिसम्बर, 1980 तक 8531 विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वासित किया है ।

(4) राष्ट्रीयकृत बैंक विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिये सामान्य से भिन्न व्याज दरों पर ऋण देते हैं । राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के विशिष्ट आंकड़े और इस योजना के लाभ प्राप्त कर्ताओं की संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि बैंकों द्वारा यह सूचना अलग से एकत्रित नहीं की जाती ।

(ग) विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

10 Porters of New Delhi Station Discharged

1886. SHRI AJIT BAG: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the railway authorities recently discharged 10 porters of the New Delhi railway station;

(b) if so, reasons therefor;

(c) whether those porters were licensed porters; and

(d) if not, the details of their locus standi of functioning in the railway station for a long time?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALIKARJUN): (a) to (d). Six licensed porters were discharged in September 1980 on charges of indulging in malpractices.

Indian Students Abroad for Higher Education

1887. DR. VASANT KUMAR PANDEY: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) whether Government maintains a record/register of all Indian Stu-